

**बिहार लोक सेवा आयोग,  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001**

**आवश्यक सूचना**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, गणित के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित वि.सं. 66/2020 के अंतर्गत साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 28.02.2023 से 04.03.2023 तक किया गया था। साक्षात्कार में शामिल उम्मीदवारों की अर्हता का निर्धारण, एकेडमिक अंक/अनुभव अंक की गणना विभागीय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जा रही है। उक्त समिति के प्रतिवेदन एवं साक्षात्कार के समय समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नांकित उम्मीदवारों के उक्त विज्ञापन के अंतर्गत निम्न अभ्युक्ति अंकित की गई है:-

Sl. No.	Roll No.	Name	Remarks
1.	660134	Virendra Kumar Singh	इनके Ph.D. हेतु Registration, M.U. Bodhgaya में नवम्बर, 2009 को हुआ था, इन्होंने Ph.D. की उपाधि सितम्बर, 2013 में प्राप्त की है। इनकी CSIR NET उत्तीर्णता से छूट हेतु प्रमाण पत्र इस विज्ञापन की शर्त (UGC Notification NO. F.-1-2/2017 (Ec/PS), Dated 18.07.2018 की कंडिका 4.1 (A) (ii) के अनुरूप नहीं है।
2.	660264	Samin Ahmad	इनके Ph.D. हेतु Registration, JPU, Chhapra में दिनांक 07.07.2009 को हुआ था, इन्होंने Ph.D. की उपाधि जनवरी, 2014 में प्राप्त की है। इनकी CSIR NET उत्तीर्णता से छूट हेतु प्रमाण पत्र इस विज्ञापन की शर्त (UGC Notification NO. F.-1-2/2017 (Ec/PS), Dated 18.07.2018 की कंडिका 4.1 (A) (ii) के अनुरूप नहीं है।
3.	660333	Shailendra Kumar Singh	इनके Ph.D. हेतु Registration, Univ. of Colcutta में 2006 को हुआ था, इन्होंने Ph.D. की उपाधि 2012 में प्राप्त की है। इनकी CSIR NET उत्तीर्णता से छूट हेतु प्रमाण पत्र इस विज्ञापन की शर्त (UGC Notification NO. F.-1-2/2017 (Ec/PS), Dated 18.07.2018 की कंडिका 4.1 (A) (ii) के अनुरूप नहीं है।
4.	660395	Lal bahadur Chouhan	इनके द्वारा CSIR NET उत्तीर्णता से सम्बन्धित छूट प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है

उक्त सूची में अंकित उम्मीदवारों को पूर्व में दिये गये समय पर वांछित प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के कारण पुनः एक और मौका दिया जा रहा है, ताकि वे दिनांक 02.05.2023 को आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपने अभ्युक्ति में अंकित तथ्यों से सम्बन्धित साक्ष्य/प्रमाण (प्रासंगिक प्रमाण पत्रों सहित) मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में उक्त उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी एवं उनके सम्बन्ध में आयोग अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

सभी सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति दो प्रतियों में लाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं होगा।

*dm*  
परीक्षा नियंत्रक 14/23

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना